छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 266 / 2007</u>

श्री चुन्नू राम,
आत्मज श्री बडू राम,
निवासी–नेहरू वार्ड, अंबिकापुर,
जिला–सरगुजा (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास
समिति मर्यादित, अंबिकापुर,
जिला–सरगुजा (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: <u>आदेश</u> ::
(दिनांक 07 जून 2007)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा जन सूचना अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, अंबिकापुर को दिनांक 20–01–2006 को जानकारी प्राप्त करने के लिये आवेदन प्रस्तुत किया गया था और जानकारी समयावधि में नहीं मिलने पर उनके द्वारा प्रथम अपील दिनांक 24–01–2007 को प्रस्तुत की गई। दिनांक 05–02–2007 को प्रथम अपील निरस्त की गई, जिससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दिनांक 01–03–2007 को प्रस्तुत की गई है।

2/ उभय पक्ष की विडियो कान्फ्रेंसिंग से दिनांक 17–05–2007 को सुनवाई की गई। प्रकरण के रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। प्रकरण में प्रतिअपीलार्थी द्वारा संबंधित समस्त जानकारी अपीलार्थी को दिया जाना बताया गया है और उनके द्वारा केवल पहले नस्ती न मिलने के कारण अनुबंध की शर्तों का एक प्रारूप दिया गया था, जो दूसरे व्यक्ति का था और बाद में जब नस्ती मिल गई तब उन्होंने अपीलार्थी के साथ किये गये अनुबंध का प्रारूप उन्हें प्रदान कर दिया है। प्रकरण में अपीलार्थी वस्तुतः अपने साथ एक दूसरा अनुबंध होना बताता है, जिसके तहत एक दूकान उसके स्वामित्व में विक्रय पर दिये जाने की बात कह रहा है, जबकि प्रतिअपीलार्थी का कहना है कि ऐसा कोई अनुबंध उसके साथ हुआ ही नहीं था और केवल एक अनुबंध किराये पर देने का हुआ था, जिसकी प्रति उन्हें प्रदान कर दी गई है। प्रकरण के रिकार्ड में जो स्वावलंबन योजना की प्रति लगी हुई है, उसके अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त योजना के तहत दुकानें किराये पर ही दिये जाने का प्रावधान है और स्वामित्व में विक्रय पर देने का प्रावधान नहीं है। आवेदक ने पहले जो 25,000/– रुपये का ऋण देना बताता है वह भी दुकान के मूल्य के रूप में नहीं है, बल्कि संभवतः दुकान के लिये कच्चे माल, साज–सज्जा, कार्यशील पूंजी आदि के लिये देना प्रतीत होता है। प्रतिअपीलार्थी ने अपने उत्तर में यह

भी बताया कि उक्त आवेदक को एक ट्रक योजना में भी ऋण दिया गया था और उसके गलत जानकारी और दस्तावेज के कारण उक्त वाहन जप्त कर नीलाम कर दी गई, जो यह दर्शाता है कि अपीलार्थी गलत काम करने का आदी है और संभवतः इसी क्रम में वह गलत तथ्य बताकर दुकान अपने नाम कराना चाहता है। इस संबंध में अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका (क्रमांक–6609/2006) भी दायर कर रखी है। अपीलार्थी जो पुराना अनुबंध बता रहा है, उसे माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहता है और जो अनुबंध की प्रति दी गई है, उसे वह कूटरचित करना बताता है, जबकि उक्त अनुबंध पर उसके हस्ताक्षर हैं और वर्ष 1994 में खरीदे गये स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध किया जाना दर्शाता है। इस संबंध में कूटरचित होने का कोई प्रमाण भी उसने पेश नहीं किया है, अतः उसकी बात पर विश्वास करने का कोई आधार नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी या तो समझ नहीं रहा है, या तो उसे प्रतिअपीलार्थी समझा नहीं पा रहे हैं, या फिर जानबूझकर अपीलार्थी वास्तविक स्थिति को समझना नहीं चाहता है तथा जानबूझकर दुराग्रह रखा हुआ है। जहाँ तक प्रकरण में तथ्यों के आधार पर गुणदोष पर आवेदक की माँग का प्रश्न है, यह आयोग उस हेतु सक्षम नहीं है तथा आयोग तो केवल सूचना ही दिला सकता है जो दी जा चुकी है तथा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका में ही आवेदक की माँग पर निर्णय हो सकता है। अतः उक्त स्थिति में चूँकि प्रकरण में सम्पूर्ण जानकारी दी जा चुकी है, अतः सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत प्रतिअपीलार्थी पर किसी प्रकार की कार्यवाही करने का आधार नहीं बनता है और जन सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी ने जो आदेश पारित किया है, वह अपने स्थान पर सही है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

3/ अतः उक्त अपील निरस्त की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त